



2026: AHC : 50199

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1004, वर्ष 2026

हादिश एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: हरे राम पांडेय, वरुण शंकर द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका के प्रार्थना खंड में उल्लिखित संलग्नक को दिन की कार्यवाही के दौरान सुधारने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी है।
2. अनुमति प्रदान की जाती है।
3. याचिका के प्रार्थना खंड में आवश्यक संशोधन दिन की कार्यवाही के दौरान कर लिया जाए।
4. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
5. तत्काल रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:

"क- एक रिट, आदेश या निर्देश, जो कि परमादेश की प्रकृति में हो, जारी कर चकबंदी अधिकारी, कसया को निर्देशित किया जाए कि वह उनके समक्ष लंबित याचिकाकर्ताओं के रिकॉल आवेदन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(Annexure no. 5 के रूप में संलग्न) का निस्तारण, अधिमानतः इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर शीघ्रता से करे।

ख- एक रिट, आदेश या निर्देश, जो कि परमादेश की प्रकृति में हो, जारी कर प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देशित किया जाए कि वह चकबंदी अधिकारी, कसया के समक्ष रिकॉल आवेदन के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि पर मौके पर कोई बाधा उत्पन्न न करे और याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण कब्जे में खलल न डाले।"

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले को शीघ्रता से तय करने का निर्देश जारी किया जाता है।
7. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः चार महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से उपर्युक्त मामले का शीघ्रता से निर्णय ले।
8. उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

11 मार्च, 2026

सुषमा

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।